

कार्यालय नगरपरिषद् हनुमानगढ़ (राजस्थान)

क्रमांक: एफ 8 भूमि () 2023/ 3894

दिनांक : 11/7/23

कार्यालय आदेश

नगरपरिषद् हनुमानगढ़ के द्वारा चक नं. 50 एनजीसी पत्थर नं. 130/252 मु.नं. 30 किला नं. 12/1/0.031, 13/2/0.127, 14/2/0.126, 15/2/0.126, 16/1/0.127, 17/1/0.126, 18/1/0.127, 19/3/0.015 एवं पत्थर नं. 131/252 मु.नं. 31 किला नं. 11/1/0.127, 12/1/0.126, 19/1/0.126, 20/1/0.127 कुल 845'x165'+20'x82'6"=141075.00 Sqft भूमि में श्रीमान् प्राधिकृत अधिकारी/आयुक्त नगरपरिषद् हनुमानगढ़ के पत्रांक 7124-7128 दिनांक 11.01.2023 के द्वारा 90ए की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। श्रीमान् वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर के पत्रांक बीकेजेड/2522:120/2023/ले.आउट/2022/हनुमानगढ़/3418 दिनांक 08.12.2022 व बीकेजेड/2522:120/ले.आउट/2023/हनुमानगढ़/577 दिनांक 01.06.2023 द्वारा ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जा चुका है। परिषद् एम्पावर्ड कमेटी बैठक क्रमांक 7148 दिनांक 11.01.2023 व 2186 दिनांक 12.06.2023 द्वारा ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जा चुका है एवं नियमन की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उक्त भूमि पर कॉलोनाईजर/खातेदार द्वारा आन्तरिक विकास कार्य सड़क, बिजली, पानी, पार्क आदि प्रगति पर है तथा आन्तरिक विकास के समस्त कार्य एन.ओ.सी. बाबत श्रीमान् वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर के पत्रांक बीकेजेड/2522:120/2023/ले.आउट/2022/हनुमानगढ़/3418 दिनांक 08.12.2022 व बीकेजेड/2522:120/ले.आउट/2023/हनुमानगढ़/577 दिनांक 01.06.2023 को मध्य नजर रखते हुए तथा कोलोनाईजर द्वारा लिखित अण्डरटेकिंग लेते हुए यह कथन किया गया है कि नियत समयावधि में उक्त आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने तक स्वीकृत योजना के भूखण्ड संख्या 06, 07, 24 व 30 कुल 04 भूखण्ड परिषद् के पास रहन (प्लज) रहेंगे। नियत अवधि में कार्य पूरा न होने की दशा में रहनशुदा प्लॉट परिषद् द्वारा विक्रय करके आन्तरिक विकास कार्य करवाने बाबत कोलोनाईजरर्स / खातेदार ने स्वयं को पाबंद किया है।

अतः उक्त तथ्यों, अण्डरटेकिंग के आधार पर निम्न शर्तों के साथ जारी किया जाता है :-

1. स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार समस्त आन्तरिक विकास कार्य सड़क, विद्युतीकरण, पेयजल आपूर्ति व्यवस्था, सुविधा क्षेत्र की चार दिवारी का निर्माण आदि स्वयं कोलोनाईजर/खातेदार द्वारा स्वयं के खर्चे पर करवाये जावेंगे और इस संबंध में परिषद् किसी प्रकार का कार्य एवं व्यय करवाने हेतु जिम्मेवार नहीं होगी।
2. कोलोनाईजर/ खातेदार द्वारा स्वयं के खर्चे पर उपरोक्तानुसार करवाये जाने वाले आन्तरिक विकास कार्य का एक सार्वजनिक नोटिस अपने कार्यालय के बाहर एवं कोलोनी के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित किया जावेगा और इस आशय की सूचना दो स्थानीय समाचार पत्रों में स्वयं के व्यय से प्रकाशित करवायी जावेगी।
3. श्रीमान् वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर के पत्रांक बीकेजेड/2522:120/2023/ले.आउट/2022/हनुमानगढ़/3418 दिनांक 08.12.2022 व बीकेजेड/2522:120/ले.आउट/2023/हनुमानगढ़/577 दिनांक 01.06.2023 को मध्य नजर रखते हुए समस्त विकास कार्य पूर्ण होने तक स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार स्वीकृत योजना के भूखण्ड संख्या 06, 07, 24 व 30 कुल 04 भूखण्ड परिषद् के पास रहन रहेंगे। कोलोनाईजर/ खातेदार द्वारा ज्यों-ज्यों विकास कार्य पूर्ण करवाये जावेंगे, परिषद् द्वारा मौका निरीक्षण करवाकर विकास कार्यों के प्रमाणिकरण अनुसार रहन शुदा प्लॉट त्यों-त्यों रहन मुक्त किये जावेंगे। नियत समयावधि में आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की दशा में परिषद् द्वारा रहनशुदा प्लॉट विक्रय किये जाकर आन्तरिक विकास कार्य करवाये जा सकें एवं शर्तों की पालना की जावेगी।
4. संबंधित कोलोनाईजर/खातेदारों पर 100/- रु. के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अण्डरटेकिंग के आधार पर कोलोनाईजर द्वारा बंधक रखे गये भूखण्डों के विरुद्ध बैचान आदि करने पर नगरपरिषद् हनुमानगढ़ द्वारा कठोर कार्यवाही की जावेगी।

रहन रखे गये भूखण्डों के अलावा अन्य भूखण्डों को स्वीकृत प्लान के अनुसार बैचान करें तथा आवंटियों को निर्धारित प्रारूप में आवंटन पत्र जारी कर नियमन हेतु सूची 10रु. के स्टाम्प पर कार्यालय में प्रस्तुत की जावे।

आयुक्त
नगरपरिषद्, हनुमानगढ़
दिनांक :

क्रमांक: एफ 8 भूमि () 2023/

प्रतिलिपि -

1. खातेदार/कॉलोनाईजर श्री रितिश गर्ग पुत्र श्री जीत कुमार जाति अग्रवाल निवासी रूपनगर, वार्ड नं. 19, गिदडबाहा जिला श्री मुक्तसर साहिब (पंजाब) Designated Partner & Authorised Signatory of Superior Properties LLP, 243, Green Velly, Malout.
2. भूमि शाखा, नगरपरिषद् को रहन रखे गये भूखण्डों का नियमन नहीं करने बाबत सूचनार्थ प्रेषित है।

आयुक्त
नगरपरिषद्, हनुमानगढ़

कार्यालय नगरपरिषद् हनुमानगढ़-राजस्थान

क्रमांक: 2186

दिनांक: 12.6.2023

एम्पावर्ड कमेटी बैठक

प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महोदय एवं श्रीमान निदेशक एवं विशिष्ट सचिव महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक प. 8 (ग) () नियम/डीएलबी/2021/68664-69454 दिनांक 27.09.2021 द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान -2021 में प्रकरणों के निस्तारण हेतु राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 की उपधारा (6) सपटित धारा 337 की उपधारा (1) व (2) के खण्ड (ए) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अभियान अवधि के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69ए, 71, 73, 118, 121, 171, 183, 189, 174, 194 (194 की उपधारा (7)), के खण्ड (2) एवं उपधारा (12) को छोड़कर), 202, 207, 242, 243, 244, 245, 254, 258, 259, 269, 282, 287, 288, 299 एवं 306 के अंतर्गत नगरपालिका मण्डल को प्रदत्त शक्तियों एम्पावर्ड कमेटी को प्रत्यायोजित की गई एवं नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021/जयपुर दिनांक 21.04.2022 के बिन्दु संख्या 3 के द्वारा स्थानीय स्तर पर भू-उपयोग परिवर्तन के नियम 2010 के नियम 6 में स्थानीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति को मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेन्ट प्लान के अनुरूप पट्टा शुद्धा भूखण्ड के भू-उपयोग परिवर्तन करने के अधिकार दिये गये हैं। अभियान अवधि में निकायो की एम्पावर्ड समिति द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जानी है।

अतः जारी अधिसूचना दिनांक 27.09.2021 एवं नगरपरिषद् हनुमानगढ़ के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.8(भूमि) (PSKSA-2021)/2021/13593 दिनांक 12.10.2021 के अनुसार आज दिनांक 12.6.2023 को एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में निम्नानुसार सदस्य उपस्थित हुए-

- | | |
|---|-----------------------|
| • माननीय सभापति नगरपरिषद् हनुमानगढ़ | - अध्यक्ष |
| • आयुक्त, नगरपरिषद् हनुमानगढ़ | - सदस्य सचिव |
| • अधिशाषी अभियन्ता, नगरपरिषद् हनुमानगढ़ | - सदस्य |
| • सहायक नगर नियोजक, नगरपरिषद् हनुमानगढ़ | - सदस्य |
| • लेखाधिकारी/सहा. लेखाधिकारी, नगरपरिषद् हनुमानगढ़ | -विशेष आमंत्रित सदस्य |
| • विधिक सलाहकार, नगरपरिषद् हनुमानगढ़ | -विशेष आमंत्रित सदस्य |

कमेटी के समक्ष निम्न प्रकार से प्रकरण विचार एवं निर्णय हेतु रखे गये :-

बिन्दू सं. 01 :- ले-आउट प्लान अनुमोदन करने बाबत विचार विमर्श एवं निर्णय :-

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 में मानचित्र अनुमोदन एम्पावर्ड कमेटी को अधिकृत किया गया है। एम्पावर्ड कमेटी के समक्ष निम्नप्रकार से प्रस्तुत किये गये हैं :-

क्र.सं.	खातेदार का नाम व पता	भूमि का विवरण	एसटीपी बीकानेर का पत्रांक व दिनांक	प्रयोजन
---------	----------------------	---------------	------------------------------------	---------

[Handwritten signatures and marks below the table]

1.	श्री रितिश गर्ग पुत्र श्री जीत कुमार जाति अग्रवाल निवासी रूपनगर, वार्ड नं. 19, गिदडवाहा जिला श्री मुक्तसर साहिब (पंजाब) Designated Partner & Authorised Signatory of Superior Properties LLP, 243, Green Velly, Malout	चक नं. 50 एनजीसी पत्थर नं. 130/252 मु.नं. 30 किला नं. 12/1/0.031, 13/2/0.127, 14/2/0.126, 15/2/0.126, 16/1/0.127, 17/1/0.126, 18/1/0.127, 19/3/0.015 एवं पत्थर नं. 131/252 म.नं. 31 किला नं. 11/1/0.127, 12/1/0.126, 19/1/0.126, 20/1/0.127 कुल 1.311 हैक्टर (141075.00 वर्गफीट) भूमि	577 दिनांक 01.06.2023	आवासीय (संशोधित ले-आउट प्लान)
2.	श्री इन्द्र कुमार हिसारिया पुत्र श्री शिव कुमार हिसारिया जाति अग्रवाल निवासी दुर्गा कॉलोनी, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़ Designated Partner & Authorised Signatory of Sun Plan Properties, Shop No. 04, Street No. 04, Ward No. 23, Punjabi Mohalla, Hanumangarh Town	की चक नं. 50 एनजीसी पत्थर नं. 130/252 मु.नं. 30 किला नं. 16/2/0. 126, 17/2/0.127, 18/0.126, 19/4/0.016, 22/1/0.031, 23/0. 253, 24/0.253, 25/0.253, एवं पत्थर नं. 131/252 मु.नं. 31 किला नं. 19/2/0.127, 20/2/0.126, 22/0. 253 कुल 1.691 हैक्टर (181912.50 वर्गफीट) भूमि	576 दिनांक 01.06.2023	आवासीय (संशोधित ले-आउट प्लान)

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

2/8

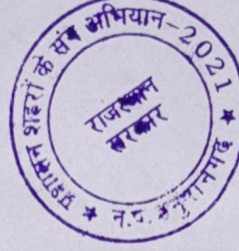
कार्यालय नगरपरिषद् हनुमानगढ़ (राजस्थान)

क्रमांक : नपह/भूमि (कृषि)/2024/

5435

दिनांक: 18-8-23

श्री रितिश गर्ग पुत्र श्री जीत कुमार
जाति अग्रवाल निवासी रूपनगर, वार्ड नं. 19,
गिदडबाहा जिला श्री मुक्तसर साहिब (पंजाब)
Designated Partner & Authorised Signatory
of Superior Properties LLP, 243,
Green Velly, Malout



विषय : आन्तरिक विकास पेटे रहन रखे गये भूखण्डो को रहन मुक्त करने बाबत।

प्रसंग : आप द्वारा Model Town Encalve के भूखण्ड रहन मुक्त करने के लिए प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ मे।

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत लेख है कि आपके स्वामित्व की भूमि चक नं. 50 एनजीसी पत्थर नं. 130/252 मु.नं. 30 किला नं. 12/1/0.031, 13/2/0.127, 14/2/0.126, 15/2/0.126, 16/1/0.127, 17/1/0.126, 18/1/0.127, 19/3/0.015 एवं पत्थर नं. 131/252 मु.नं. 31 किला नं. 11/1/0.127, 12/1/0.126, 19/1/0.126, 20/1/0.127 कुल 845'x165'+20'x82'6''=141075.00 Sqft भूमि का ले-आउट प्लान स्वीकृत किया गया था। उक्त स्वीकृत प्लान में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 11.07.2023 को अधिवास प्रमाण-पत्र जारी किया गया था। उक्त योजना में भूखण्ड संख्या 06, 07, 24 व 30 कुल 04 भूखण्डों को आन्तरिक विकास कार्यो पेटे रहन किये गये थे। नगरपरिषद् कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट के आधार पर भूखण्ड संख्या 06, 07, 24 व 30 कुल 04 भूखण्डों को रहनमुक्त किया जाता है।

आयुक्त

नगरपरिषद् हनुमानगढ़

कार्यालय नगरपरिषद हनुमानगढ़ (राजस्थान)

क्रमांक : 1753

दिनांक : 27/5/2025

मेसर्स सुपीरियर प्रॉपर्टीज एल एल पी,

नामित साशेदार श्री रितेश गर्ग पुत्र श्री जीत कुमार गर्ग,

पंजीकृत कार्यालय - 243, ग्रीन वैली, गलोट, पंजाब।

विषय:- निजी खातेदारी की भूमि Salipura Bypass Road, Satipura, Hanumangarh Junction, Hanumangarh State- Rajasthan पर योजना "MODEL TOWN ENCLAVE" के जारी हुए पट्टे की सूचना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके स्वामित्व की भूमि चक न. 50 एनजीसी पत्थर न. 130/252 मु. न. 30 किला न. 12/1/0.031, 13/2/0.127, 14/2/0.126, 15/2/0.126, 16/1/0.127, 17/1/0.126, 18/1/0.127, 19/3/0.015 एवं पत्थर न. 131/252 मु. न. 31 किला न. 11/1/0.127, 12/1/0.126, 19/1/0.126, 20/1/0.127 कुल 845'x165'+20'x82'6"=141075.00 वर्गफीट भूमि में आवासीय/वाणिज्यिक योजना "MODEL TOWN ENCLAVE" का अनुमोदित मानचित्र जारी किया गया था। अनुमोदित मानचित्र के अनुसार योजना MODEL TOWN ENCLAVE का रहन अवधि के दौरान किसी भी भूखण्ड का पट्टा जारी नहीं किया गया है व रहन में रखे गए भूखंड दिनांक 18/08/2023 को नगरपरिषद पत्र क्रमांक - नपह/ भूमि (कृषि) /2024/5435 के तहत रहनमुक्त किये गए हैं उसके पश्चात सर्वप्रथम पट्टा 26/09/2023 को जारी किया गया है।।

आयुक्त/प्रभारी

नगर परिषद, हनुमानगढ़

Signature valid

Digitally signed by Surendra Singh Yadav
Designation : Commissioner
Date: 2025.05.26 17:32:01 IST
Reason: Approved

